

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, प्लॉट नं. 35 A, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011)

क्रमांक 279/स्था-जांच/2020

भोपाल, दिनांक 02 दिसम्बर 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- थाना भानपुरा के अपराध क्रमांक 417/2020 धारा 420 भारतीय दंड विधान बढाने धारा 467, 468, 471, 120-बी में श्री जगदीशचन्द्र डगले प्रभारी उप पंजीयक के गिरफ्तारी के संबंध में।

—0—

मन्दसौर जिले में उप पंजीयक कार्यालय, भानपुरा में पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा उप पंजीयक को गिरफ्तार किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उप पंजीयक पर आरोप नहीं लगाया गया है तथा उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इसके बावजूद पुलिस विवेचना में सुपुष्ट आधार के बिना उप पंजीयक को सह अभियुक्त बनाकर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है, जिसके कारण बाद में थाना प्रभारी को लाइन अटैच करना पड़ा। ऐसी कार्यवाही से जहां एक ओर शासन-प्रशासन की छवि धूमिल होती है, वहीं संबंधित कर्मचारी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होते हैं तथा उनका मनोबल टूटता है एवं शासन को राजस्व हानि की स्थिति भी निर्मित होती है।

प्रदेश में अन्य जिलों में भी ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते रहे हैं। जिनमें उप पंजीयक के विरुद्ध मात्र इस आधार पर पुलिस अभियोजन की कार्यवाही की जाती है कि, आक्षेपित दस्तावेज का पंजीयन उसके द्वारा किया गया है। शासन स्तर से समय-समय पर पंजीयन अधिकारी के विधिक कर्तव्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए परिपत्र जारी किये गये हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत किसी दस्तावेज के पंजीयन में उप पंजीयक द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा सीमित है। उसे अधिनियम की धारा 34 व 35 के अन्तर्गत दस्तावेज के निष्पादक की शिनाख्त दो गवाहों से करानी होती है तथा निष्पादन की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। पंजीयन नियम 36 के अनुसार उप पंजीयक को संपत्ति पर निष्पादक के हक की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है।

फर्जी अभिलेख के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के पंजीयन से वस्तुतः दावेदार को संपत्ति पर कोई हक प्राप्त नहीं होता बल्कि यह अपराधी तक पहुंचने के लिए साक्ष्य गठित करता है। विविध न्याय दृष्टांतों में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) के अंतर्गत उप पंजीयक की कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत Judicial Proceeding माना गया है तथा धारा 86 के अंतर्गत उसे सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए पूर्ण सुरक्षा उसी प्रकार प्रदान की गई है जिस प्रकार की "न्यायिक अधिकारियों का संरक्षण अधिनियम" के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को प्राप्त है। उक्त धारा 86 के प्रावधान निम्नानुसार है:-

"No registering officer shall be liable to any suit, claim or demand by reason of anything in good faith done or refused in his official capacity"

उक्तानुसार विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही के पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका कोई अपराधिक उत्तरदायित्व बनता भी है अथवा नहीं। पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल) के परिपत्र दिनांक 23.06.2006 द्वारा तदविषयक निर्देश प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को जारी करते हुए स्पष्ट किया गया था कि शासकीय सेवक की गिरफ्तारी एवं चालान तभी किया जाना चाहिए जब उसके कृत्य के लिए उसका आपराधिक दायित्व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता हो।

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भी अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 03.11.2007 द्वारा पुलिस विभाग को विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए लिखा गया था कि जब तक उप पंजीयकों की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण होने के ठोस साक्ष्य मौजूद न हों तब तक इस आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही न की जाए कि उनके द्वारा की गई रजिस्ट्री में वर्णित संपत्ति में निष्पादक का कानूनी हक नहीं है अथवा पक्षकार फर्जी है।

उक्तानुसार समय-समय पर जारी परिपत्रों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद पंजीयन अधिकारियों के विरुद्ध अपुष्ट आधारों पर गिरफ्तारी व चालान की कार्यवाही किया जाना खेदजनक है।

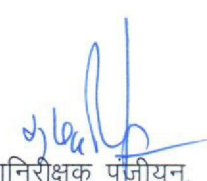
उक्त परिप्रेक्ष्य में स्वत्व के विवाद से जुड़े अथवा फर्जी पहचान के साथ रजिस्ट्री कराए जाने के आक्षेप से जुड़े प्रकरणों में उप पंजीयक के विरुद्ध यदि प्राथमिकी दर्ज कराने के प्रस्ताव विचाराधीन हों तो पूर्व में इस कार्यालय से जारी परिपत्र दिनांक 07.12.2010 में दिए गए निर्देशानुसार विभागाध्यक्ष से अनुमोदन उपरांत ही कार्यवाही की जाए। जब तक पंजीयन अधिकारी का कार्य दुर्भावनापूर्ण होने के ठोस आधार उपलब्ध न हों तब तक ऐसी कार्यवाही उचित नहीं है। तदनुसार अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

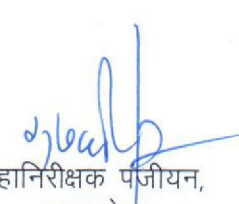
संलग्न :- उपर्युक्तानुसार परिपत्रों की छायाप्रति।

पृ.क्रमांक 280 /स्था-जांच/2020

प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2020


महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश